न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा/54/2015 तारीख रजु 18.06.2015

उनवान

नवलसिंह पुत्र श्री शंकर जाति बंजारा निवासी बंजारो का नंगला तन सूरौठ तहसील हिण्डौन जिला करौली।

---वादीगण(01)

बनाम

सरोज पुत्र चंद सिंह जाति बंजारा वगै0 निवासी बंजारो का नंगला तन सूरौठ तहसील हिण्डोन जिला करौली।

----प्रतिवादी(26)

उपस्थितिः—

वादी की ओर से :— श्री सुगर सिंह एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :— श्री कृष्ण मुरारी शर्मा एडवोकेट

निर्णय

दिनांक 20.01.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण की ओर वकालतन एक दावा भूमि विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्थित ग्राम बंजारो का नंगला तन सूरौठ तहसील हिण्डोन के खसरा न. 312, 330, 331,332,333,334, 335, 336, 337, 338, 340, 341, 342,343, 344,345,346,347,348,349,350,361/2930,361/2980,361/2480 के सम्बंध में पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में बार—बार आवाज दिलाई गई । पत्रावली वकील उभयपक्ष उपस्थित नहीं आए, जिससे जाहिर होता है कि उभय पक्ष उक्त दावे में कोई रूचि नहीं ले रहा है।

अतः वादी का दावा मुकदमा नंबर 54/2015 नवलसिंह बनाम सरोज अदम पैरवी, अदम हाजिरी एवं अदम तकमील में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 20.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2020.02.14 15:27:53 IST
Reason: SelfAttested